बुद्धि प्रकाश बनाम संतरा

अपील संख्या : 2022/ 108

20.05.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह ने उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई । अपीलान्ट ने अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया । स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गांवडी तहसील नैनवा में कुल 07 किता की रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । परीक्षण न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित प्रकरण वाद संख्या 69/2019 में वाद का निर्णय पारित कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वतः ही निरस्त हो जाता है । अपीलान्ट द्वारा अपील पेश किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः उक्त अपील Infructuous होने से खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा